

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-6241 / 2022

रफीक मोहम्मद (कर्मचारी आई.डी.- आरजेकेओ200827003262)

—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व,, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.12.2022

आदेश की दिनांक : 08.12.2022

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री गोविन्द शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
मातादीन शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी पटवारी के पद पर कार्यरत है। आलौच्य आदेश दिनांक 28.09.2022 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण पटवार मण्डल सहरावदा तह. रामगंजमण्डल जिला कोटा से पटवार मण्डल हेमड़ातह. सुनेल जिला झालावाड़ में किया गया है। उनका तर्क है कि वर्तमान पदस्थापित स्थान पर अपीलार्थी 5 माह पूर्व ही पदस्थापित होकर आया है। पूर्व में आदेश दिनांक 13.09.2021 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण एलआरसी, तह. सांगोद जिला कोटा से पटवार मण्डल सहरावदा तह. रामगंजमण्डी जिला कोटा में हुआ था, जिसकी पालना में अपीलार्थी को दिनांक 04.04.2022 को कार्यमुक्त किया गया एवं अपीलार्थी ने वर्तमान स्थान पर दिनांक 06.04.2022 को ही पदभार ग्रहण किया था। इसके उपरांत वर्तमान में अपीलार्थी का स्थानांतरण 5 माह की अल्पावधि में ही कर दिया गया है, जो उचित नहीं है।
3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि यह नियोजक के विवेक पर निर्भर करता है कि वो कार्मिक की सेवाएं

किस स्थान पर लें। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण **Rajendra Roy Vs. Union of India (1993) 1 SCC 148** में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है:—

"It is true that the order of transfer often causes a lot of difficulties and dislocation in the family set up of the concerned employees but on that score the order of transfer is not liable to be struck down. Unless such order is passed mala fide or in violation of the rules of service and guidelines for transfer without any proper justification the Court and the Tribunal should not interfere with the order of transfer."

4. स्थानांतरण राजकीय सेवा का एक भाग है। यह प्रत्यर्थी विभाग के विवेक पर निर्भर है कि उन्हें अपीलार्थी की सेवाएं किस स्थान पर लेनी है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रत्यर्थी विभाग ने अपने विवेक का प्रयोग करते हुए अपीलार्थी का स्थानांतरण किया है। उपरोक्त विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुए एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी के स्थानांतरण हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी के स्थानांतरण प्रशासनिक कारणों एवं राजहित में किया गया है। यह प्रकट नहीं होता है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण किये जाने में कोई दुर्भावना रही हो। स्थानांतरण आदेश में हस्तक्षेप किये जाने का कोई उचित कारण प्रकट नहीं होता है।
5. अतः यह अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील खारिज की जाती है।

(मातादीन शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)